



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(107)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स-मोक्षधाम/2016/RK-00062 जयपुर दिनांक: 09 JUL 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **Crematoria** की बाउण्ड्रीवाल बाबत।

प्रसंग :- अवर सचिव, भारत सरकार, महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग, ग्रामीण विकास
मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक L-13060/51/ 2019-RE-VII (e-369675)
दिनांक 30.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **Crematoria** की पक्की बाउण्ड्रीवाल (RCC/Masonry) निर्माण का कार्य अनुमत नहीं है लेकिन डिच-कम-बण्ड अथवा लाइव/ग्रीन फैंसिंग का कार्य उपयुक्त पेड़ों/झाड़ियों को बाउण्ड्रीवाल के रूप में विकसित कर योजनान्तर्गत कराया जा सकता है। प्रासंगिक पत्र की प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र विजय)

परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।
5. सहायक निदेशक (आयोजना), ईजीएस मुख्यालय, जयपुर।
6. श्री रिकू, एम.आई.एस. मैनेजर, ईजीएस को वैबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

No. L-13060/51/2019-RE-VII (e-369675)

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

D. No. 3032/EGS/RD&PR/2020
Date.....
10 2 JUN 2020

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 30th June 2020

To,

I. D. No. 1235/EGS
Date..... 6/7/20

The Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries / Commissioners
(in charge of Mahatma Gandhi NREGS)
Rural Development Department,
All States / UTs


R.No. 1785/EGS/
Date..... 8/7/2020

Subject: Boundary wall for crematoria under Mahatma Gandhi NREGS.

Madam/ Sir,

A reference has been received from a State for permitting 'Constriction of Boundary Wall' for crematoria under Mahatma Gandhi NREGA.


2. The matter has been examined and the undersigned is directed to convey with the approval of competent authority that as per Para 4 (1) IV Category D (v) of Sch-1 of the Mahatma Gandhi NREG Act, construction of crematoria is permitted under the scheme. As far as construction of boundary wall is concerned, pucca boundary wall (RCC/ masonry) is not allowed. However, DCB (Ditch Cum Bund) or live/ green fencing with suitable living trees and shrubs may be raised as a boundary wall for crematoria under Mahatma Gandhi NREGS.

Com. EGS



(Deep Shekhar Singhal)
01/07/2020

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. 011 23381709

PO, EGS

30/7/2020
(पी. सी. किशोर)
आयुक्त ईजीएस

7.7.20
SE
7/7/20
Arenj
7/7